National Ethnic Disability Alliance

HAVE YOUR SAY in the Disability Royal Commission

रॉयल कमीशन की संदर्शिका

उद्देश्य डिसेबिल्टी रॉयल कमीशन (विकलाँगता राजकीय आयोग) से सम्बन्धित यह संदर्शिका माइग्रेंट और रिफ़्यूजी (प्रवासी एवं शरणार्थी) पृष्ठभूमियों वाले विकलाँगता से ग्रस्त लोगों को अपनी कहानी बताने में सहायता देने के लिए है। डिसेबिल्टी रॉयल कमीशन विकलाँगता से ग्रस्त लोगों के देखभालकर्ताओं और परिजनों से, तथा साथ ही पक्षसमर्थकों, समर्थन कर्मियों और समुदाय के सदस्यों के तौर पर क्षेत्र में काम करने वाले लोगों से सब्मीशन (प्रस्तुतियों) की मांग कर रहा है।

इस संदर्शिका में पांच तथ्य पत्र शामिल हैं:

1. डिसेबिल्टी रॉयल कमीशन क्या है?
2. डिसेबिल्टी रॉयल कमीशन क्या करती है?
3. डिसेबिल्टी रॉयल कमीशन पर NEDA का वक्तव्य
4. सब्मीशन जमा कैसे कराएँ
5. हिंसा, दुर्व्यवहार, अवहेलना और शोषण क्या है?

संदर्शिका का प्रयोग करना

यह संदर्शिका माइग्रेंट और रिफ़्यूजी पृष्ठभूमियों वाले विकलाँगता से ग्रस्त लोगों को अपनी कहानी बताने में सहायता देगी। ये तथ्य पत्र NEDA की वेबसाइट पर अलग-अलग भाषाओं में ऑनलाइन उपलब्ध होंगे। इस संदर्शिका को सरल अंग्रेज़ी में लिखा गया है ताकि लोगों को सब्मीशन जमा कराने में सहायता मिल सके।

NEDA के बारे में

राष्ट्रीय संजातीय विकलाँगता गठबंधन (NEDA, National Ethnic Disability Alliance) राष्ट्रीय स्तर पर विकलाँग लोगों की एक संस्था (DPO, Disabled People's Organisation) है जो हमारे सदस्यों, अर्थात माइग्रेंट और रिफ़्यूजी पृष्ठभूमियों वाले विकलाँगता से ग्रस्त लोगों, के मानवाधिकारों का प्रसार करती है, इन्हें संरक्षित करती है और आगे बढ़ाती है। हम अधिकांशत: विकलाँगता से ग्रस्त CALD लोगों द्वारा प्रशासित हैं। हम DPO ऑस्ट्रेलिया के संस्थापक सदस्य हैं, जो चार राष्ट्रीय अंतर-विकलाँगता DPOs का गठबंधन है। इसे विकलाँगता से ग्रस्त लोगों के विचारों का प्रतिनिधित्व करने और सरकार/रों तथा अन्य हितधारकों को सलाह देने के लिए ऑस्ट्रेलियाई सरकार द्वारा वित्त-पोषित किया गया है।

सामाजिक सेवाएँ विभाग (Deptartment of Social Services) द्वारा वित्त-पोषित एक परियोजना

कॉपीराइट © NEDA 2020

फोन: +612 62626867
डाक: PO Box 971, Civic Square, ACT, Australia 2608

वेब: www.neda.org.au
ई-मेल: ppo@neda.org.au

Hindi | हिन्दी

डिसेबिल्टी रॉयल कमीशन क्या है?

ऑस्ट्रेलिया में, रॉयल कमीशन जन महत्ता वाले मामलों की सर्वोच्च जांच-पड़ताल होते हैं। हाल ही की जांच-पड़ताल और रिपोर्ट्स ने यह दर्शाया है कि विकलाँगता से ग्रस्त लोगों का उन लोगों की तुलना में हिंसा, दुर्व्यवहार, अवहेलना और शोषण का सामना करने की अधिक संभावना होती है जो विकलाँगता से ग्रस्त नहीं होते हैं। रॉयल कमीशन से हमें जो पता चलेगा, उससे हमें ऑस्ट्रेलियाई सरकारों, संस्थानों और व्यापक समुदाय को यह सूचित करने में सहायता मिलेगी कि विकलाँगता से ग्रस्त लोगों को भविष्य में हिंसा, दुर्व्यवहार, अवहेलना और शोषण का सामना करने से कैसे बचाना और बेहतर सुरक्षित करना है।

डिसेबिल्टी रॉयल कमीशन यह विचार करेगा कि:

- विकलाँगता से ग्रस्त लोगों को हिंसा, दुर्व्यवहार, अवहेलना और शोषण का सामना करने से कैसे बचाना और बेहतर सुरक्षित करना है
- हिंसा, दुर्व्यवहार, अवहेलना और शोषण की सूचना देने और इसकी जांच-पड़ताल करने तथा इसपर प्रतिक्रिया करने से सम्बन्धित श्रेष्ठ अभ्यास कैसे हासिल करने हैं
- एक ऐसे समावेशी समाज का प्रसार कैसे करना है जो विकलाँगता से ग्रस्त लोगों की स्वतंत्रता का और उनके हिंसा, दुर्व्यवहार, अवहेलना और शोषण से मुक्त रहकर जीवन व्यतीत करने के अधिकार का समर्थन करता हो। इस जांच-पड़ताल में अलग-अलग स्थानों और स्थितियों में विकलाँगता से ग्रस्त लोगों के साथ होने वाली हर प्रकार की हिंसा, और दुर्व्यवहार, अवहेलना और शोषण शामिल होगी।

डिसेबिल्टी रॉयल कमीशन सरकार से स्वतंत्र है। इसका यह अर्थ है कि विकलाँगता से ग्रस्त लोग और उनके परिवार, मित्र तथा समर्थक, और उद्योग रॉयल कमीशन को हिंसा, दुर्व्हार, अवहेलना और शोषण के बारे में सूचित कर सकते हैं।

NEDA माइग्रेंट और रिफ़्यूजी पृष्ठभूमियों वाले विकलाँगता से ग्रस्त लोगों को, तथा साथ ही परिजनों और पक्षसमर्थकों को सुदृढ़ रुप से प्रोत्साहित करता है कि वे अनुचित रुप से उनके साथ बर्ताव किए जाने की कहानियाँ सांझी करें।

डिसेबिल्टी रॉयल कमीशन लोगों को नुकसान पहुँचाए जाने और उनके साथ अनुचित व्यवहार किए जाने के अनुभवों के बारे में जानना चाहता है:

- चाहे वे स्कूल में हुए हों, न्याय प्रणाली में या किसी आप्रवास कारावास में
- किसी सामूहिक आवास में या कार्यस्थल पर
- या फिर उनके अपने घर में हुए हों।

डिसेबिल्टी रॉयल कमीशन यह जानना चाहता है कि आपके लिए जीवन सहज बनाने हेतु लोगों ने क्या काम किए हैं, और आपके अनुसार कौन से कार्य विकलाँगता से ग्रस्त लोगों के जीवन में सुधार लाएँगे।

कॉपीराइट © NEDA 2020 फोन:+612 62626867 डाक:PO Box 971, Civic Square, ACT, Australia 2608 वेब:www.neda.org.au ई-मेल: ppo@neda.org.au
राष्ट्रीय संजातीय विकलाँगता गठबंधन (National Ethnic Disability Alliance) सामाजिक सेवा विभाग (DSS, Department of Social Services) द्वारा वित्त-पोषित है।

NEDA
National Ethnic Disability Alliance

HAVE YOUR SAY
in the Disability Royal Commission

डिसेबिल्टी रॉयल कमीशन क्या करता है?

डिसेबिल्टी रॉयल कमीशन अनुसंधान, जन सुनवाईयों, लोगों द्वारा हमें बताए जाने वाले निजी अनुभवों और सब्मीशनों, निजी सत्रों, तथा अन्य मंचों के द्वारा जानकारी एकत्रित करता है।

सब्मीशन: जब आप किसी ऑनलाइन फॉर्म, टेलीफोन पर, लिखित तौर पर या वीडियो/ऑडियो रिकॉर्डिंग के माध्यम से कुछ निश्चित सवालों का जवाब देकर गुप्त रुप से हमें अपनी कहानी बता सकते/सकती हैं। सब्मीशन के बारे में एक अलग से तथ्य-पत्र उपलब्ध है।

जन सुनवाईयाँ: जब व्यक्तियों के पास अपनी कहानी बताने और इसे कानूनी रुप से पहचान दिए जाने का अवसर होता है, और संस्थाओं को महत्ता वाले मामलों पर अपने विचार देने के लिए कहा जाता है।

जब रॉयल कमीशन सरकार को एक अंतिम रिपोर्ट प्रदान करता है तो इसका कार्य समाप्त हो जाता है। रिपोर्ट में यह बताया जाएगा कि उन्होंने विकलाँगता से ग्रस्त लोगों और समुदाय से क्या सीखा है और रिपोर्ट में सामाजिक और देखभाल प्रणालियों में सुधार करने के सुझाव दिए जाएँगे।

पक्षसमर्थकों, समर्थन कर्मियों, परिजनों और मित्रों द्वारा सब्मीशन निम्नलिखित प्रकार से भेजे जा सकते हैं:

- **लिखित तौर** पर हमारे ऑनलाइन फॉर्म लिंक/ से
- लिंक/ पर **ई-मेल करके**
- 1800 517 199 पर **फोन करके**
- अपने अनुभव **रिकॉर्ड करके** और ऑडियो या वीडियो सब्मीशन हमें GPO Box 1422, Brisbane QLD 4001 पर भेजकर।

अन्य भाषाओं में डिसेबिल्टी रॉयल कमीशन के बारे में संपूर्ण जानकारी के लिए, www.neda.org.au देखें

कॉपीराइट © NEDA 2020 फोन:+612 62626867 डाक:PO Box 971, Civic Square, ACT, Australia 2608 वेब:www.neda.org.au ई-मेल: ppo@neda.org.au
राष्ट्रीय संजातीय विकलाँगता गठबंधन (National Ethnic Disability Alliance) सामाजिक सेवा विभाग (DSS, Department of Social Services) द्वारा वित्त-पोषित है।

NEDA
National Ethnic Disability Alliance

HAVE YOUR SAY
in the Disability Royal Commission

डिसेबिल्टी रॉयल कमीशन पर NEDA का वक्तव्य

डिसेबिल्टी रॉयल कमीशन के लिए माइग्रेंट और रिफ़्यूजी पृष्ठभूमियों वाले विकलाँगता से ग्रस्त लोगों, और उनके परिवारों द्वारा सामना की जाने वाली समस्याओं को समझने का सबसे अच्छा तरीका उन लोगों से खुद उनकी बात सुनना है।

यह अपनी कहानी बताने का जीवनकाल में एक बार आने वाला अवसर है। आएँ, एक बेहतर भविष्य का निर्माण करें

NEDA राष्ट्रीय स्तर पर विकलाँग लोगों की एक संस्था (DPO, Disabled People's Organisation) है जो माइग्रेंट और रिफ़्यूजी पृष्ठभूमियों वाले विकलाँगता से ग्रस्त लोगों के मानवाधिकारों का प्रसार करती है, इन्हें संरक्षित करती है और आगे बढ़ाती है।

NEDA यह जानती है कि माइग्रेंट और रिफ़्यूजी पृष्ठभूमियों वाले विकलाँगता से ग्रस्त लोग अपने स्वयं के जीवन में निपुण होते हैं। हम ऐसी अच्छी कार्यप्रणालियाँ सूचित करने और बेहतर नीतियाँ विकसित करने में मदद देने के लिए श्रेष्ठ लोग हैं जो समावेशी हों, सांस्कृतिक तौर पर उचित हों, और विकलाँगता से ग्रस्त सभी लोगों की विविध ज़रुरतों पर प्रतिक्रिया करती हों।

हम एक ऐसा समाज चाहते हैं जो हमारे मानवाधिकारों और गरिमा का सम्मान करे भले ही हम कोई भी हों, हम कोई भी काम करते हों, हमारा मूल कहीं से भी हो, हमारी विचारधारा अलग-अलग हो, और/या हम कोई भी भाषा बोलते हों।

NEDA आपको अपनी खुद की भाषा में डिसेबिल्टी रॉयल कमीशन को सब्मीशन जमा कराने के लिए प्रोत्साहित करती है, यदि आपको लगता है कि ऐसा करना आपके लिए सबसे सही है। हम आपको प्रोत्साहित करते हैं कि आप कमीशनरों को अपने अनुचित अनुभवों के बारे में बताएँ।

हम आपको यह सांझा करने के लिए भी प्रोत्साहित करते हैं कि आपके अनुसार क्या बदलने या होने की ज़रुरत है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि आप अन्य लोगों के समान आधार पर, अपनी इच्छानुसार अपना जीवन व्यतीत कर सकते/सकती हैं। यदि आपको लगता है कि आपके साथ आप जो हैं, उस वजह से अनुचित बर्ताव किया गया है, या ऐसा आपकी आवासीय, स्वास्थ्य, रोज़गार, शैक्षिक, परिवहन या विकलाँगता समर्थन आवश्यकताओं के संबंध में किया गया है, तो अपनी कहानी डिसेबिल्टी रॉयल कमीशन के साथ सांझी करें।

आप अपने जीवन के सभी पहलुओं के संबंध में अपने अनुभव सांझे कर सकते/सकती हैं। इसमें निम्नलिखित शामिल है परन्तु ये इन्हीं तक सीमित नहीं है:

- आपका घर और परिवार
- आपका विकलाँगता सेवा प्रदाता, या विकलाँगता संस्थान
- आपका स्कूल, TAFE या युनिवर्सिटी, या आपका शिक्षा प्रदाता
- स्थानीय, राज्य या राष्ट्रीय सरकारें और उनके कार्यक्रम या सेवाएँ
- आपका डॉक्टर, आपका अस्पताल या अन्य स्वास्थ्य सेवाएँ
- जब आप कहीं बाहर हों, जैसे कि जन परिवहन, रेस्टोरेंट या शॉपिंग सेंटर और पार्क में।

डिसेबिल्टी रॉयल कमीशन आपकी कहानी सुनना चाहता है।

यदि आपको अपनी कहानी बताने में सहायता की ज़रुरत है, तो NEDA से संपर्क करें और हम आपका संपर्क आपके स्थानीय क्षेत्र में किसी ऐसे व्यक्ति से स्थापित करेंगे जो समर्थन प्रदान कर सकता हो।

02 6262 6867

ppo@neda.org.au

कॉपीराइट © NEDA 2020 फोन:+612 62626867 डाक:PO Box 971, Civic Square, ACT, Australia 2608 वेब:www.neda.org.au ई-मेल: ppo@neda.org.au
राष्ट्रीय संजातीय विकलाँगता गठबंधन (National Ethnic Disability Alliance) सामाजिक सेवा विभाग (DSS, Department of Social Services) द्वारा वित्त-पोषित है।

NEDA
National Ethnic Disability Alliance

HAVE YOUR SAY
in the Disability Royal Commission

सब्मीशन कैसे जमा कराएँ

डिसेबिल्टी रॉयल कमीशन उन तरीकों की जांच-पड़ताल करने का कार्य है जिनके द्वारा हम विकलाँगता से ग्रस्त लोगों को नुकसान का सामना करने और अनुचित तरीके से बर्ताव किए जाने से बचा सकते हैं। वे यह भी जानना चाहते हैं कि आपको क्या लगता है कि कौन से कार्य हमारे लिए सुधार लाएँगे।

डिसेबिल्टी रॉयल कमीशन निम्नलिखित के संबंध में विकलाँगता से ग्रस्त एक व्यक्ति के तौर पर आपके अनुभव जानना चाहती है:

हिंसा – जब कोई आपको नुकसान और चोट पहुँचाता है।

अवहेलना – जब कोई आपकी देखरेख करना बंद कर देता है।

दुर्व्यवहार – जब कोई आपको नीचा दिखाता है या आपसे अनुचित लाभ उठाता है।

शोषण – जब कार्यस्थल में कोई बिना वेतन दिए आपका प्रयोग करता है या आपको एक व्यक्ति के तौर पर सम्मान नहीं दिया जाता है।

कमीशन पक्षसमर्थकों, समर्थन कर्मियों, परिजनों और मित्रों से सब्मीशन देने की मांग कर रहा है।

डिसेबिल्टी रॉयल कमीशन दुभाषियों या अनुवादकों के लिए भुगतान करेगा।

आपको अपने नाम का प्रयोग करने की ज़रुरत नहीं है।

आप अलग-अलग तरीकों से सब्मीशन कर सकते/सकती हैं:

https://shareyourstorysubmission.disability.royalcommission.gov.au/ पर उपलब्ध ऑनलाइन फॉर्म के माध्यम से **लिखित तौर** पर या GPO Box 1422, Brisbane QLD 4001 को डाक से पत्र भेजकर

DRCenquiries@royalcommission.gov.au को **ई-मेल करके**

1800 517 199 पर फोन करके
(सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक, राष्ट्रीय सार्वजनिक अवकाश के दिनों के अलावा)

अपने अनुभव **रिकॉर्ड करके** और ऑडियो या वीडियो सब्मीशन भेजकर।

सब्मीशन फॉर्म में "Attach Files" बटन पर क्लिक करके अपनी फाइल(लें) अपलोड करके कुल 4GB तक अधिकतम 10 फाइलें अपलोड की जा सकती हैं। यदि ऑडियो या वीडियो फाइलों का साइज 4GB से अधिक है, तो रिकॉर्डिंग ई-मेल करें या इसे USB में डालें और हमें भेजें – अधिकतम 20GB प्रति फाइल। वैकल्पिक तौर पर, आप अपनी रिकॉर्डिंग YouTube पर डाल सकते/सकती हैं और हमें लिंक भेज सकते/सकती हैं।

यदि अपनी फाइलें अपलोड करने में आपको मदद चाहिए तो कृपया रॉयल कमीशन को 1800 517 199 पर फोन करके या DRCEnquiries@royalcommission.gov.au पर ई-मेल करके संपर्क करें।

अन्य भाषाओं में डिसेबिल्टी रॉयल कमीशन के बारे में संपूर्ण जानकारी के लिए, www.neda.org.au देखें।

आप अपनी भाषा में बात कर या लिख सकते/सकती हैं।

कॉपीराइट © NEDA 2020 फोन:+612 62626867 डाक:PO Box 971, Civic Square, ACT, Australia 2608 वेब:www.neda.org.au ई-मेल: ppo@neda.org.au
राष्ट्रीय संजातीय विकलाँगता गठबंधन (National Ethnic Disability Alliance) सामाजिक सेवा विभाग (DSS, Department of Social Services) द्वारा वित्त-पोषित है।

NEDA
National Ethnic Disability Alliance

HAVE YOUR SAY
in the Disability Royal Commission

हिंसा, दुर्व्यवहार, अवलेहना और शोषण क्या है?

रॉयल कमीशन विकलाँगता से ग्रस्त लोगों की बात सुनना चाहता है, जिन्होंने हिंसा, दुर्व्यवहार, अवलेहना और शोषण का सामना किया है।

हमें डिसेबिल्टी रॉयल कमीशन की ज़रुरत है क्योंकि हम जानते हैं कि माइग्रेंट और रिफ़्यूजी पृष्ठभूमियों वाले विकलाँगता से ग्रस्त लोग कभी-कभी निम्नलिखित का सामना करते हैं:

हिंसा

जब कोई शारीरिक रूप से आपको नुकसान पहुँचाता है। जैसे, यदि कोई आपको धक्का दे, आपको गले से पकड़े या आपको मारे।

दुर्व्यवहार

जब कोई आपके साथ बुरे तरीके से बर्ताव करे। जैसे, यदि कोई आपको गाली निकाले, आप पर चिल्लाए या आपको धमकी दे और आपको नीचा दिखाए या आपके शरीर को ऐसे छुए जैसे आप छूने देना नहीं चाहते/चाहती हों।

अवहेलना

जब कोई इस प्रकार आपकी सहायता न कर रहा हो जैसे उनसे की जाने की प्रत्याशा की जानी चाहिए। जैसे कि, यदि आपको भोजन, कपड़ों या दवाई से वंचित रखा जाता है; यदि आपको अपने मित्रों-सहेलियों या परिजनों से मिलने नहीं दिया जाता है; यदि आपको अकेले छोड़ दिया जाता है या आपको नहाने के काम या शौचालय जाने के काम में मदद नहीं दी जाती है।

शोषण

जब कोई आपकी स्थिति से लाभ उठाता है। जैसे कि, जब कोई आपकी सहमति के बिना आपका धन या आपके Centrelink के भुगतान लेता है, या जब कोई आपका प्रयोग अपने फायदे के लिए करता है।

पक्षसमर्थकों, समर्थन कर्मियों, परिजनों और मित्रों द्वारा सब्मीशन निम्नलिखित प्रकार से भेजे जा सकते हैं:

- **लिखित तौर** पर हमारे ऑनलाइन फॉर्म लिंक/ से
- लिंक/ पर **ई-मेल करके**
- 1800 517 199 पर **फोन करके**
- अपने अनुभव **रिकॉर्ड करके** और ऑडियो या वीडियो सब्मीशन हमें GPO Box 1422, Brisbane QLD 4001 पर भेजकर।

अन्य भाषाओं में डिसेबिल्टी रॉयल कमीशन के बारे में संपूर्ण जानकारी के लिए, www.neda.org.au देखें

कॉपीराइट © NEDA 2020 फोन:+612 62626867 डाक:PO Box 971, Civic Square, ACT, Australia 2608 वेब:www.neda.org.au ई-मेल: ppo@neda.org.au
राष्ट्रीय संजातीय विकलाँगता गठबंधन (National Ethnic Disability Alliance) सामाजिक सेवा विभाग (DSS, Department of Social Services) द्वारा वित्त-पोषित है।